न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **333/2022** दायर दिनाँक **04.08.2022**

वादीगण

1. हमीद खां पुत्र अब्दुल रसीद उम्र 70 वर्ष
2. मोहम्मद हुसैन पुत्र अमीर खां उम्र 48 वर्ष
3. मो0 अली पुत्र हबीब खां उम्र 62 वर्ष
4. मो0 असरफ पुत्र अलाउदीन उम्र 24 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. शेर मोहम्मद पुत्र अलाउदीन उम्र 22 वर्ष
2. फारूक खां पुत्र अलाउदीन उम्र 20 वर्ष
3. मदीना पुत्री अलाउदीन उम्र 18 वर्ष
4. जुले खां बानो पत्नि अलाउदीन उम्र 47 वर्ष
5. जमीला बेवा जफरू खां उम्र 80 वर्ष
6. लाल मोहम्मद पुत्र जफरू खां उम्र 38 वर्ष
7. अहमद अली पुत्र हबीब खां उम्र 50 वर्ष
8. धन्नी पुत्री हबीब खां उम्र 65 वर्ष
9. जमीला पुत्री हबीब खां उम्र 52 वर्ष
10. मोहम्मद शरीफ पुत्र अमीर खां उम्र 36 वर्ष
11. मुन्नी उर्फ सलामत पुत्री अमीर खां उम्र 50 वर्ष
12. सुफिया पुत्री अमीर खां उम्र 42 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **25.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पैत्रिक कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

उक्त खसरान में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 16.08.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1727 दिनाँक 24.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार [illegible] के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1727 दिनाँक 24.08.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना की भूमि में वादीगण घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1727 दिनाँक 24.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रति0 सं0 3 मदीना, प्रति0 सं0 4 जुले खां बानो, प्रति0 सं0 5 जमीला व प्रति0 सं0 8 धन्नी व प्रति0 सं0 9 जमीला, प्रति0 सं0 11 मुन्नी उर्फ सलामत, प्रति0 सं0 12 सुफीया का नाम राजस्व रेकर्ड में नही जोड़ा जावें।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1727 दिनाँक 24.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (राष्ट्रीय लोक अदालत), डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **333/2022** दायर दिनाँक **04.08.2022**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. हमीद खां पुत्र अब्दुल रसीद उम्र 70 वर्ष 2. मोहम्मद हुसैन पुत्र अमीर खां उम्र 48 वर्ष 3. मो0 अली पुत्र हबीब खां उम्र 62 वर्ष 4. मो0 असरफ पुत्र अलाउदीन उम्र 24 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. शेर मोहम्मद पुत्र अलाउदीन उम्र 22 वर्ष 2. फारूक खां पुत्र अलाउदीन उम्र 20 वर्ष 3. मदीना पुत्री अलाउदीन उम्र 18 वर्ष 4. जुले खां बानो पत्नि अलाउदीन उम्र 47 वर्ष 5. जमीला बेवा जफरू खां उम्र 80 वर्ष 6. लाल मोहम्मद पुत्र जफरू खां उम्र 38 वर्ष 7. अहमद अली पुत्र हबीब खां उम्र 50 वर्ष 8. धन्नी पुत्री हबीब खां उम्र 65 वर्ष 9. जमीला पुत्री हबीब खां उम्र 52 वर्ष 10. मोहम्मद शरीफ पुत्र अमीर खां उम्र 36 वर्ष 11. मुन्नी उर्फ सलामत पुत्री अमीर खां उम्र 50 वर्ष 12. सुफिया पुत्री अमीर खां उम्र 42 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—188, 53, 88

उपस्थितः—

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री असलम खां वकील प्रतिवादीगण।

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनाँक **13.08.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पैत्रिक कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद लोरोली खुर्द पटवार हल्का लोरोली कलां भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा करीब 70—80 सालों से चल रहा है। उक्त भूमि तीन हिस्सों में बंटी हुई है, जिसमें 1/2 भूमि वादी सं0 1 के पिता के कब्जा काश्त में रही, उसके बाद आज वादी सं0 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा 1/4 भाग भूमि वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के पिता अमीर खां के कब्जा काश्त में रही, उसके बाद वादी सं0 2 व प्रतिवादी सं0 10 ता 12 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा शेष रही 1/4 भूमि वादी सं0 3 व 4 व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के दादा बाघे खां के रही व उसके बाद बाघे खां के पुत्र जफरू खां व हबीब खां के रही व इनके फौत होने के बाद वादीगण सं0 3, 4 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के कब्जे. काश्त में चली आ रही है।

यह है कि उक्त जमीन की पैमाइश सम्वत् 2006 से ही गलत दर्ज हो रखी है, क्योंकि सम्वत् 2006 की पुरानी खतौनी में "अशरफ बेटा जातरा शेखमुसलमान वासी बड़ी खाटु रो" आया हुआ है। जिसमें कही पर भी असरफ किसका पुत्र है, कोई हवाला नही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से इसमें सम्वत् 2022 की खतौनी में असरफ को पुत्र शेख का पुत्र बना दिया, जबकि शेख जाति है, ना कि किसी का नाम है, उक्त असरफ पुत्र शेख नाम का कोई व्यक्ति बड़ी खाटू में नही है। न ही कभी हमारे खेत में किसी [illegible] दाजी की, न ही कभी हमारे को वे हमारे पिता व दादा को भी [illegible] जानकारी नही रही, इस प्रकार उक्त खेत में जो [illegible] व बिल्कुल गलत है, क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] स्वयं का आज भी बिना रोक—टोक के कब्जा काश्त [illegible]

प्रार्थना वादी इस प्रकार हैः—

1. वाकै सरहद लोरोली खुर्द के खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 का बंटवारा निम्न प्रकार से हैः— वादी सं0 1 हमीद खां की जमीन नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा अनुसार 1/2 भूमि यानि 3.0700 हैक्टे0 के कब्जा काश्त में आई हुई है।

2. यह है कि वादी सं0 2 मो0 हुसैन व प्रतिवादी सं0 10 मोहम्मद शरीफ के उक्त जमीन में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5350 हैक्टे0 नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त में आई।

3. यह है कि वादी सं0 3 मो0 अली व वादी सं0 4 मो0 असरफ व प्रतिवादी सं0 1 शेर मोहम्मद, प्रति0 सं0 2 फारूक खां व प्रति0 सं0 6 लाल मो0 व प्रति0 सं0 7 अहमद अली के उक्त जमीन में 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से यानि 1.5350 हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त में आई हुई है।

यह है कि प्रति0 सं0 3 मदीना, प्रति0 सं0 4 जुले खां बानो, प्रति0 सं0 5 जमीला व प्रति0 सं0 8 धन्नी व प्रति0 सं0 9 जमीला, प्रति0 सं0 11 मुन्नी उर्फ सलामत, प्रति0 सं0 12 सुफीया को सामाजिक रिति-रिवाजों अनुसार इनका हक अदा कर दिया है, इसलिए इनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया जावें, तथा उक्त खसरा सं0 114 में जो असरफ पुत्र शेख नाम आया हुआ है को राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 09, 11, 12 की तरफ से श्री असलम खां के जरिये इकबालिया जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 6 ता 8 व 10, 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वाद का किसी पक्षकारान द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वकील वादी वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाने में अपनी सहमति पेश करते है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है लेकिन राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी तथा विधिवत् बन्टवारा करवाना चाहते हैं। पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि में 70-80 वर्षो से कब्जा काश्त होने से अपनी खातेदारी व विधिवत् बन्टवारा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के कानूनन् हकदार हैं। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान् के बीच प्राथमिक डिक्री की जाकर, तहसीलदार डीडवाना से विभाजन प्रस्ताव लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि वाकै सरहद लोरोली खुर्द के खेत खसरा सं0 114 रकबा 6.1400 हैक्टे0 भूमि में नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। तहसीलदार डीडवाना दौ प्रतियों में कुर्रेजात पेश करेंगे।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 13.08.2022 को [illegible] अदालत में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner